वर्सिटीज का चयन किया गया था । तो छोटानागपुर में घना जंगल है और जिसका देश में महत्व है क्या उसके लिए भी कोई योजना बनाई गई है या कोई फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां कायम करने का सरकार विचार कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 70 लाख नहीं 30 लाख रु० की राशि मेरे साथी ने बतायी थी । छठी प्लान में इस स्कीम पर 30 लाँख रु० रखा गया है जिसमें से 17 लाख पहले ही खर्च कर दिया गया है । जिन यूनिवर्सिटीज में यह काम हो रहा है, उनके नाम उन्होंने बताये हैं । कोई और यूनिवर्सिटीज अगर कोई प्रोजेक्ट बनाकर हमारे पास भेजेंगी तो उस पर भी गौर किया जायेगा ।

Planning at Village Level

*756. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whethr Government have received any suggestion from Extension Education Association, having its headquarters in Indian Agricultural Research Institute, with regard to the planning at the village level; and

(b) if so, action taken in this respect?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) No, Sir. So far Indian Society of Extension Education has not sent any recommendation to the Government with regard to planning at the village level.

(b) Question does not arise.

श्री पीयूष तिरकी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने 15 अप्रैल, 1982 को इन्नोवेशन टेक्नोलाज़ीज़ फार इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को सतर्क करते हुए कहा कि ग्राम यूनियन परिकल्पना के काम संतोषजनक नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना में जो परिकल्पना की गई थी, वह जिला स्तर पर की गई थीं और जिला स्तर से उपर जो ग्रामों के लिये योजनाएं बनाई जाती थीं, वह उचित साबित नहीं हुई और उनमें लाभ के बदले हानि हुई ? छठी पंजवर्षीय योजना में भी प्लानिंग को नीचे, डिसेंट्रलाईजेशन आफ प्लानिंग प्रासेस टू दी ब्लाक लैवल की बात कही गई है । जनता सरकार ने 1978–79 में यहां तक कहा था कि 10 वर्ष में सभी लोगों के लिए लाभजनक काम संस्थान की व्यवस्था की जायेगी । इसके पश्चात् सरकार में बदली होने के बाद भी 1980 में वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया, करार किया कि माइक्रो लैवल प्लान फार इरैडिकेशन आफ पावर्टी पर जोर दिया जायेगा और ब्लाक लैवल पर स्कीम बनाई जायेगी । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कही गई बात सच है या नहीं ? यदि सच है, तो इस संबंध में डिसेंट्रलाइजेशन आफ प्लानिंग करने में उनको कौनसी आपत्ति है ? वहां की उन्नति के लिए लोक लैवल से जो समितियों से प्लान भेजी जायेंगी उनको सरकार स्वीकार करेगी या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट की पालिसी यही है कि प्लानिंग जहां तक हो सके नीचे के लैवल पर होनी चाहिए । इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने हमारे एन आर ई पी के प्रोग्राम हैं, उनको सारी प्लानिंग पंचायत लेबल पर होती है ब्लाक लैवल पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डैवलपमेंट के लिए हमारे पास स्कीम हैं, उसमें 50 परसेंट स्ट्रैन्थन करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से सबसीडीज़ और ग्रांट्स दी जाती हैं । बहुत

सी स्टेट्स ने इसके लिए पहले से ही स्कीम बना ली हैं और हमने वह मंजूर कर दी है और वहां काम शुरू हो गया है ।

जहां तक हो सकता है, हम सारी प्लानिंग को नीचे के लैबल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ नीचे के लैबल पर नहीं हो सकती है । इंटर ब्लाक भी का-आर्डिनेशन चाहिए । ब्लाक्स में डिस्ट्रिक्ट्स का भी आपस में सम्बन्ध होना चाहिए । हर जगह की अपनी-अपनी जरूरियात को देखते हुए कोशिश यह की जाती है कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, उन पर ज्यादा गौर किया जाये, उसी तरीके की प्लानिंग की जाये ।

श्री पीयूष तिरकी : सभी ट्राइबल इलाकों में एक अस्थिरता इसलिए फैली हुई है कि वहां प्लानिंग के लिए जो स्कीम दी जाती हैं, वहां पहले तो ऐसे अफसर जाते हैं जो उनकी कल्चर और भाषा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और जो कुछ जंगल में हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते । इन लोगों की संस्कृति जो जंगल, पहाड़ और पर्वतों से जुड़ी हुई है, उसे सामने रखते हुए क्या उस इलाके की ट्राइबल पापूलेशन के जो मुखिया हैं या पंचायत के दूसरे लोग हैं, उनसे भी उस इलाके की परिकल्पना के सम्बन्ध में उनकी राय मांगी जायेगी ?

राव वीरेन्द्र सिंह : ट्राइबल वेलफेयर की तरफ खास तौर पर सरकार का ध्यान है । जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यह तो फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलेबस में एक स्पेशल सबजेक्ट शामिल किया गया है । ट्राइबल्ज के लिए हमारी जितनी डेवेलपमेंट की स्कीम्ज हैं, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स से भी ज्यादा सबसिडी रखी गई है । बहुत से प्रोग्राम्ज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और मार्जनल फार्मर्ज को 33 परसेंट सबसिडी मिलती है । लेकिन ट्राइबल्ज के लिए 50 परसेंट सबसिडी रखी गई है । ट्राइबल्ज की तरफ ध्यान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है ।

श्री पीयूष तिरकी : पैसे का सवाल नहीं है । पैसा दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है । उनसे सलाह मश्वरा किया जाएगा या नहीं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जब मैंने अर्ज किया कि लोगों से सलाह कर के नीचे के लेवल पर सारा प्लान बनाया जाता है, तो उसमें उनसे सलाह-मश्वरा तो अपने आप आ गया । उन की सलाह से ही सारे काम होते हैं ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम हरएक लैबल पर प्लानिंग करते हैं--विलेज से स्टेट और स्टेट से सैंटर तक । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सैंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कोई गाइडलाइन्ज दी है कि कौन सा विषय विलेज या ब्लाक लेबल पर होगा, कौन सा विषय डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर होगा और कौन सा विषय सैंटर में होगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने स्टेट्स को डेवेलपमेंट के लिये स्टीयरिंग कमेटी बनाने के लिये कहा है । स्टेट लेबल पर कमेटी होती है । उसमें भी ज्यादा जोर डिस्ट्रिक्ट लेबल पर होता है । डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवेलपमेंट एजेंसी बना कर डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करने पर सरकार का ध्यान है । वह से प्लानिंग नीचे ब्लाक और विलेज ऊपर आयेगा ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : सब-जेक्ट और एमाउन्ट को आइडेंटफाई कैसे किया जायेगा ? क्या मेजर इरिगेशन भी डिस्ट्रिक्ट लेबल पर होगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वह नहीं होगा । जो रूरल डैवेलपमेंट की लोकल स्कीमें हैं, वे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेलब पर होंगी । अगर कोई जिले से बाहर की स्कीम है, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डैवेलपमेंट एजेंसी उसको नहीं देख सकती ।

SHRI ERA AMBARASU: The fund allotted specially to the programme of NREP and IRDP is not properly utilized in Tamilnadu, because the work which comes under this scheme is either not allotted by calling tenders or anyother means; it is simply given in the block level to the party workers in Tamilnadu. AIADMK workers may not be contractors, but such people are given the work. Therefore, the funds which are allocated for this purpose is not properly utilized; it is only utilized for the welfare of the ADMK people in Tamilnadu. Will the hon. Minister order for a thorough probe to go into the details of the utilization of the funds?

RAO BIRENDRA SINGH: Any complaints that we receive from any quarters are looked into by the Government of India officers. We ask for comments from the States and, if necessary, we even send officrs to look into the complaints on the spot. This has been done in the case of many complaints from various States, not only West Bengal. In our guidelines, wherever it is possible to direct States to include all shades of opinion, all sections of the society in a village in the Consultative Committees or Monitoring Committees at the village level, that is being done. Even for the Ministry of Civil Supplies, guidelines have been circulated to the States that for distribution of essential commodities also, there should be village level committees; and it is not only sitting Sarpanchs or Pradhans of a village but even the persons who have lost in elections should be associated with them so that no section of a village is left out. Similarly, in the District Committees all M.L.As. and all M.Ps. have to be involved. All M.Ps. and M.L.Ss. have to be members of the District Committees. So, there is no question of some people being left out and only party workers being associated with them.

SHRI C. T. DHANDAPANI: Just now the the Minister has stat d that any complaints brought to the notice of the Government will be looked into and that officers will be sent to the particular area for scrutinising the accounts, etc. I would like to know from the hon. Minister whether a report submitted by the Madras Development Studies Institute has been brought to the notice of the hon. Minister. The report says that the funds allotted to IRDP and other developmental programmes in the rural areas by the Centre to Tamil Nadu have been misused and misappropriated by the local authorities.

AN HON. MEMBER: This is repetition of the same question.

SHRI C. T. DHANDAPANI: This is an important matter. A Committee was constituted by the Sivaraman Committee of the Planning Commission. I would like to know from the hon. Minister whether the report submitted by this institution in Madras has been brought to the notice of the Government and if so, what action the Government has already taken on this; if not, when will the Government take action on it?

RAO BIRENDRA SINGH: I cannot reply to this off hand. If he needs full details and a correct reply and information, then the hon. Member should give a separate notice.

PROF. MADHU DANDAVATE: Call him to the chamber.

MR. SPEAKER: Dr. Vasant Kumar Pandit.

Cultivation of "Kesari" Dal

*757. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints from Vindhya Pradesh region of Madhya Pradesh, parts of U.P. and Bihar that agricultural labourers are being paid their wages in the form of poisonous pulse namely "Kesari Dal";

(b) whether the Department has surveyed and identified villages in Madhya Pradesh and in other States which are affected by Kesari Dal distribution and cultivation;

(c) what steps are being taken to ensure implementation of ban on cultivation and distribution of Kesari Dal by the concerned State Governments; and

(d) what steps are taken to prevent adulteration of other "dals" by Kesari Dal?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) Some general reports in this regard have been brought to the notice of the Government.

(b) According to the report of the National Institute of Nutrition, Hyderabad under the Indian Council of Medical Research, the following districts/areas had been identified to have had outbreaks of Lathyrism caused by eating large amount of 'Keseridal"—
dal':—

Bihar:—

Patna, Monghyr, Darbhanga.

Madhya Pradesh:—

Saugor, Bhopal, Hoshangabad, Narasinghpur, Jabalpur, Damoh, Bilaspur, Khandwa, Raipur, Chindwara, Seoni, Rewa, Satna, Panna, Tikamgarh.

Orissa:

Orissa.

Punjab:

Norowal.

U.P.:—

Allahabad, Mirzapur, Lucknow, Bareilly, Pilibhit, Lakhimpur, Bahraich, Hardoi, Rampur, Gorakhpur, Azamgarh, Ballia, Sitapur, Unnao, Badaun, and Basti.

West Bengal:—

Murshidabad.

(c) and (d). Under Rule 44-A of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 it has been provided that no person in any State shall sell or offer or expose for sale, or have in his possession for the purpose of sale, under any description or for use as an ingredient in the preparation of any article of food intended for sale 'Kesari Dal' and its products in any form. Notifications giving effect to the aforesaid prohibition are required to be issued by the State Governments. All the States except Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal have prohibited the use of Kesari Dal for human consumption.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Hon. Speaker Sir, the casual manner in which this reply has been given on this very important topic is very disturbing. 'Kesari Dal' known in scientific terminology as *lathyrus sativus* contains lethal poisonous substance. For the last so many years this has been produced in M.P., Bihar, Orissa and West Bengal. From the reply you will see that almost 50 to 60 per cent of the districts are producing this *Dalns* in M.P. and Bihar. The Government has not given many other facts such as the reports of the ICMR and National Institute of Nutrition. All that has been stated here is that under Rule 44A of the Prevention of Food adulteration Rules it has been notified. I have asked two specific questions. Whether this dal is